#2020/00006
03/2020

FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– अपीलीय अधि0 एवं जिला कलक्टर मुकाम अजमेर

श्रीमती पिंकी तेजी बनाम लोक सूचना अधि0 एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर

किस्म मुकदमा–सूचना का अधिकार अधि.–2005 प्रकरण संख्या 03 सन् 2020

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/2/2020	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम) न.पा. चुनाव 2019 पुष्कर से प्राप्त टिप्पणी/सूचना पत्र का अपील मीमो के अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) अजमेर द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.12.2019 से अपीलान्ट/प्रार्थी को उनके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रार्थना पत्र द्वारा चाही गई बिन्दू संख्या 1 व 4 की वांछित सूचना व्यक्तिगत (निजी) एवं तृतीय पक्ष की होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत देय नहीं होने तथा बिन्दू संख्या 2 व 3 की सूचनाओं/अभिलेख बाबत वांछित रेकार्ड का बाद अवलोकन स्पष्ट ब्यौरा एवं देय शुल्क अदायगी प्राप्त करने का प्रत्युत्तर पत्र दिनाक 03.12.2019 द्वारा प्रेषित किया गया है। तदनुसार अपीलान्ट/प्रार्थी, वांछित/देय सूचना हेतु लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को उपस्थित होकर सम्बन्धित रेकार्ड का अवलोकन कर लोक सूचना अधिकारी से तैयार शुदा/उपलब्ध देय सूचना स्पष्ट विवरण के आवेदन कर प्राप्त कर सकते है। सम्बन्धित अधिकारी, प्रार्थी/अपीलान्ट को वांछित सूचना मे से उपलब्ध/देय सूचना नियमानुसार उपलब्ध करावें। अपील. अपीलान्ट इसी कदर से निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। (विश्व मोहन शर्मा) जिला कलक्टर, अजमेर	